राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 158 / 2018

प्रहलाद सिंह पुत्र भोमसिंह उम्र 80 साल जाति राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. श्रीमती प्रेम कंवर बेवाह स्व. नन्दलाल सिंह उम्र 67 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी व मलीकपुर वाया गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं जिला जयुपर, राज0
2. पूरणसिंह पुत्र नन्दलाल सिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर हाल निवासी 73 शिवपुरी झोटवाडा, जयपुर, राज0
3. दलीप सिंह पुत्र स्व. नन्दलाल सिंह उम्र 43 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी हाल निवासी बी 25 ए प्रथम, कर्णीनगर महाराणा प्रताप रोड़, जयपुर, राज0
4. विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नन्दलाल सिंह उम्र 41 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर हाल निवासी मलीकपुर वाया गोविन्दगढ़ तहसील चौमू जिला जयपुर, राज0
5. श्रीमती रतन कंवर पुत्री स्व. नन्दलाल सिंह पत्नी श्री बृजेन्द्र सिंह उम्र 37 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी हाल निवासी 245 / 2 जवाहरनगर अजमेर, राज0
6. श्रीमती सज्जन कंवर पुत्री स्व. नन्दलाल सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह उम्र 34 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर हाल निवासी प्लाट नं. 41, आयकर नगर, मानसरोवर तहसील सांगानेर जिला जयुपर, राज0
7. रघुवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी हाल निवासी 137 के 5 सी, स्कीम लाल मन्दिर, खिरणी फाटक खातीपुरा, जयपुर, राज0
8. जीवराज सिंह पुत्र स्व. तख्तसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी हाल निवासी मलीकपुर वाया गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं जिला जयपुर, राज0
9. श्रीमती कृष्ण कंवर पुत्री स्व. तख्त सिंह पत्नी घीसूसिंह राठौड़ उम्र 62 वर्ष हाल निवासी डीलढाणी तहसील मकराना जिला नागौर, राज0
10. श्रीमती ईश्वर कंवर उर्फ श्रीमती ईश्वर सिंह पुत्री स्व. तख्त सिंह पत्नी स्व. आनन्द सिंह राठौड़ उम्र 65 वर्ष निवासी रसूलपुर हाल निवासी 67 शक्तिनगर, झोटवाड़ा जिला जयपुर, राज0
11. गोपाल सिंह पुत्र स्व. जयसिंह उम्र 63 वर्ष [illegible]पूत निवासी रसूलपुर हाल निवासी 625 हास्पिटल रोड, आमेर तहसील आ[illegible] जि[illegible]पुर, राज0
12. श्रीमती गुमान कंवर पत्नी स्व. सुमेर सिंह उम्र [illegible] वर्ष जाति राजपू[illegible]सी रसूलपुर तहसील खेतड़ी हाल निवासी 625 हा[illegible]ल रोड, आमेर जि[illegible]पुर, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

13. लोकेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी हाल निवासी 625 हास्पिटल रोड़, आमेर जिला जयपुर, राज0
14. श्रीमती सीमा शेखावत पुत्री स्व. सुमेर सिंह पत्नी रणवीर सिंह राठौड़ उम्र 32 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर हाल निवासी 625 हास्पिटल रोड़, आमेर जयपुर, राज0
15. दोलत सिंह पुत्र स्व. जयसिंह उम्र 57 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी हाल निवासी 625 हास्पिटल रोड आमेर जयपुर, राज0
16. श्रीमती प्रेम कंवर पुत्री स्व. जयसिंह पत्नी लक्ष्मण सिंह राठौड़ उम्र 70 वर्ष निवासी रसूलपुर हाल निवासी 1/144 कुण्डलाव कालोनी आमेर जयपुर, राज0
17. श्रीमती विनोद कंवर पुत्री जयसिंह पत्नी सुरजप्रकाश सिंह राठौड़ उम्र 55 वर्ष निवासी रसूलपुर हाल निवासी 42, कल्याण कालोनी खातीपुरा जयपुर, राज0
18. श्रीमती सायर कंवर पुत्री स्व. जयसिंह पत्नी रामसिंह राठौड़ उम्र 53 वर्ष निवासी सत्यनगर, जयपुर, राज0
19. भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री रोशन लाल सैनी :– वादी की ओर से
2. श्री महेन्द्र छावड़ी :– प्रतिवादीगण सं. 1 से 18 की ओर से

:: **निर्णय** :: **दिनांक 24–03–2022**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम रसूलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 252 रकबा 0.51 है., ख.नं. 365 रकबा 0.08 है., ख.नं. 369 रकबा 0.36 है., ख.नं. 372 रकबा 0.67 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 है. जिसके समस्त खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 18 है जिनका हिस्सा इस प्रकार है कि वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 से 10 का 1/3 हिस्सा जिसमें प्रतिवादी सं. 1 से 6 का 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी 7 से 10 का 4/15 हिस्सा कुल 1/3 हिस्सा है जो वादी के सगे भाई तख्तसिंह के वारिशान है। प्रतिवादी सं. 11 से 18 का 1/3 हिस्सा है जो वादी के भाई जयसिंह के वारिशान है। इस 1/3 हिस्से में प्रतिवादी सं. 11 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 से 14 का 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 15, 16, 17 व 18 का प्रत्येक का 1/18, 1/18 हिस्सा है। इसी प्रकार वादी का ग्राम रसूलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 654 रकबा 0.83 है. में 1/12 हिस्सा व प्रतिवा[illegible] 1 से 10 का 1/12 व प्रतिवादी सं. 11 से 12 से 18 का 1/[illegible] हिस्सा है व शेष प्रतिवादी सं. 19 व 20 का 1/4 व प्रतिवादी सं. 21 का 1[illegible] व प्रतिवादी सं. 22, 23 का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 ने विवादित भूमि खसरा नंबर 252, 365, 309, 372 के अपने 1/3 का 1/5 यानि 1/15 भाग का व इसी विक्रय पत्र दिनांक 18.6.2013

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

के द्वारा ही भूमि खसरा नंबर 654 रकबा 0.83 है. में अपने 1/4 का 1/4 का 1/5 यानि 1/60 हिस्से का विक्रय पत्र दिनांक 18.6.2013 को करवा दिया। प्रतिवादीगण सं. 7 रघुवीर सिंह प्रतिवादी सं. 8 जीवराजसिंह व श्रीमती कृष्णा कंवर व प्रतिवादी सं. 10 श्रीमती ईश्वरसिंह उर्फ इश्वर कंवर प्रतिवादी सं. 11 गोपाल सिंह व प्रतिवादी सं. 12 गुमान कंवर के पति व प्रतिवादी सं. 13, 14 के पिता स्व. सुमेरसिंह व प्रतिवादी सं. 15 दौलतसिंह, प्रतिवादी सं. 16 प्रेमकंवर, प्रतिवादी सं. 17 विनोद कंवर, प्रतिवादी सं. 18 श्रीमती सायर कंवर ने अपने 4/15 हिस्से का हक समर्पण पत्र वादी के हक में करवा दिया व भूमि खसरा नंबर 654 रकबा 0.83 है. में अपने 1/4 गुणा 1/3 गुणा 4/15 बराबर 1/15 हिस्से का हक समर्पण पत्र वादी के हक में करवा दिया। उक्त दोनों दस्तावेजात विधिपूर्वक तस्दीक व पंजीकृत हो चुके हैं व वादी उपरोक्त वर्णनानुसार खसरा नंबर 252, 365, 309, 372 कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 है. सम्पूर्ण का खातेदार होगा जो 1/3 हिस्सा उसका बतौर उत्तराधिकारी होने से व 2/3 हिस्सा उक्त विक्रय पत्र व हक समर्पण पत्र से मिलने से होगा। उपरोक्त वर्णित दोनों दस्तावेजात विक्रय पत्र व हक समर्पण पत्र में ग्राम रसूलपुर की भूमि खसरा नंबर 654 रकबा 0.83 है. का भी हस्तानांतरण हुआ है मगर उसमें वर्तमान पक्षकारान के अतिरिक्त अन्य कई हिस्सेदार है। इसलिये वादी उसका दावा अलग से पेश करेगा। विवादित भूमि पर वादी का कब्जा है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णानुसार वादी विवादित भूमि में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रसूलपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 252 रकबा 0.51 है., ख.नं. 365 रकबा 0.08 है., ख.नं. 369 रकबा 0.36 है., ख. नं. 372 रकबा 0.67 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 है. का वादी को खातेद्रार काश्तकार घोषित किया जावे व नामांतकरण दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे व प्रतिवादी सं. 1 से 18 का नाम हटाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 से 18 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने पर सहमति दी है।

वादी की ओर से राजस्व [illegible] जमाबंदी संवत् 2071–2074 खाता सं. 204 ग्राम रसूलपुर, संवत् 2075–2078 खाता सं. 210, खाता सं. 211 ग्राम रसूलपुर, फोटो प्रति हक त्याग पत्र दिनांक 18.06.2013 व विक्रय पत्र दिनांक 18.6.2013 पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 18–06–2013 व हक त्याग पत्र दिनांक 18–06–2013 से प्रतिवादीगण का ग्राम रसूलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 252, 365, 369, 372 किता 4 रकबा 1.62 है. में दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पक्ष में समाहित हो चुका है। विक्रय पत्र, हक त्याग पत्र एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 18 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा के वाद वादी डिक्री किया जाना साबित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम रसूलपुर तहसील खेतड़ी स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 211 खसरा नंबर 252, 365, 369, 372 कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 है. में प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर उनके नाम से दर्ज सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24–03–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी, जिला-झुन्झुनूं (राजस्थान)

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:36 IST
Reason: SelfAttested